

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्ययनशाला में पंजीकृत शोध छात्र/छात्राओं के लिए यात्रा अनुदान संबंधी मार्गदर्शिका (पूर्व में जारी आदेश के अनुक्रम में):-

विषयांतर्गत विश्वविद्यालय की अनियत अनुदान समिति (Unassigned Grant Committee) की बैठक दिनांक 21.06.2016 में समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में विचार कर यह निर्णय लिया गया है :-

01. एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अध्ययनशाला से पंजीकृत अधिकतम 04 शोध छात्र/छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी/अधिवेशन में यात्रा अनुदान की पात्रता होगी ।
02. एक वित्तीय वर्ष में एक शोध निर्देशक के अधिकतम 02 शोधार्थी को यात्रा अनुदान की पात्रता होगी ।
03. एक वित्तीय वर्ष में एक संगोष्ठी में अधिकतम 02 शोधार्थियों को ही यात्रा अनुदान की पात्रता होगी ।

आदेशानुसार

सही

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(अनु०प्रको०)